पत्रांक-10/सि-07/90मा0———
बिहार पटना ,
प्राथमिक,माध्यमिक एवं अन्य शिक्षा विभाग ।

प्रेषक,

श्री रघुवंश सहाय,
सरकार के अवर सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सचिव,
अराजकीय वरीयता महाविद्यालय ,
सिक्ष पुनिर्धारण(बी0एड0) महाविद्यालय बहेड़ा ,दरभंगा ।

पटना, दिनांक———

विषय- अराजकीय वरीयता महाविद्यालय सिक्ष पुनिर्धारण(बी0एड0) महाविद्यालय बहेड़ा दरभंगा के स्थायी मुन्यीकृति /संबंधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा व्यवहार विविध वाद सं0- 4232 /1988 में दिनांक 24-3-94 को पारित आदेश के आलोक में बिहार अराजकीय वरीयता प्राप्त पुनिर्धारण महाविद्यालय तथा अराजकीय सिक्ष पुनिर्धारण महाविद्यालय एवं अराजकीय प्राथमिक सिक्ष शिक्षा महाविद्यालय (नियमन अधिनियम - 1982) बिहार अधिनियम 29-1982 की धारा-3 अन्तर्गत प्रकृत नियमावली तथा अधिसूचना संख्या -1107 दिनांक 25-11-87 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा-2 एवं 3 के प्रावधानों के अधीन अराजकीय वरीयता प्राप्त सिक्ष पुनिर्धारण (बी0एड0) महाविद्यालय, बहेड़ा दरभंगा को राज्य सरकार ने स्थायी मुन्यीकृति /संबंधन प्रदान करने की कृपा की है ।

माननीय न्यायालय के रिट(सिविल) याचिका वाद विविध [illegible] मामले में उक्त नियमन के अनुसार महाविद्यालय द्वारा कुल 50 प्रतिशत सीटों पर नामांकित राज्य सरकार द्वारा वापू अभ्यर्थी की ही के लिए किया जाएगा तथा 50% प्रतिशत सीटों पर नामांकन के लिए महाविद्यालय अपने विवेक द्वारा अन्य छात्रों के लिए आरक्षण कर सकेगा ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(रघुवंश सहाय)
सरकार के अवर सचिव, बिहार ।

———2

ज्ञापांक—— 46 पटना, दिनांक——

प्रतिलिपि कुल सचिव, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(एस0एन0 सहाय)
सरकार के अपर सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-----466 पटना, दिनांक--- 29-9-94

प्रतिलिपि क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाइ हेतु प्रेषित।

29-9-1994
(एस0एन0 सहाय)
सरकार के अपर सचिव, बिहार